इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 693] भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2017—पौष 6, शक 1939

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी आयुष (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) महाविद्यालय स्नातकोत्तर शिष्यवृत्ति नियम, 2017

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

क्र. एफ-1-20-2017-1-उनसठ.—राज्य शासन शासकीय स्वशासी आयुष (आयुर्वेद / होम्योपैथी / यूनानी) महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठयक्रम क्रमशः एम. डी. / एम. एस. (आयुर्वेद) एवं एम. डी. (होम.) व एम. डी. / एम. एस. (यूनानी) में अध्ययनरत छात्रों की शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) के संबंध में निम्नानुसार नियम बनाता है:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–**

1.1 ये नियम "शासकीय स्वशासी आयुष (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में संचालित स्नातकोत्तर पाठयक्रम क्रमशः एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) एवं एम0डी0 (होम0) व एम0डी0/एम0एस0 (यूनानी) में अध्ययनरत छात्रों की शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) पात्रता नियम 2017" कहलायेंगे।

1.2 ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में, इनके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**–इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 "स्नात्कोत्तर" से अभिप्रेत है किसी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में संचालित स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम यथा एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) एवं एम0डी0 (होम0) व एम0डी0/एम0एस0 (यूनानी)।

2.2 "शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड)" से तात्पर्य मध्य प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय स्नात्कोत्तर पाठयक्रम में अध्ययनरत छात्रों को समय–समय पर दी जाने वाली मासिक शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) राशि।

2.3 "शासन" से अभिप्रेत मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग है।

2.4 "महाविद्यालय एवं चिकित्सालय" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय एवं महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय।

2.5 "सेवारत छात्रों" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग मंत्रालय के महाविद्यालय, चिकित्सालय में सेवारत श्रेणी के अंतर्गत प्रभावशील प्रवेश नियमों के अनुरूप प्रवेशित सेवारत शिक्षक, चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य चिकित्सकीय श्रेणी के पद।

2.6 "छात्र/अध्येता" से अभिप्रेत है म0प्र0 स्थित शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में म0प्र0 शासन, आयुष विभाग एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में समय–समय पर अधिसूचित परीक्षा उपरान्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित व अध्ययनरत अभ्यर्थी।

2.7 "गैर सेवारत" से अभिप्रेत ऐसे छात्रों से है जो कि मध्य प्रदेश शासन की किसी भी शासकीय सेवा में न हो।

3. **विस्तार एवं प्रयुक्ति**– यह नियम प्रदेश के समस्त शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्रों को समय–समय पर दी गई स्वीकृति के आधार पर दी जाने वाली शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) के लिए लागू होंगे।

4. **शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) प्रदान किए जाने की पात्रता एवं अवधि –**

4.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों को वह शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) राशि प्रदान की जावेगी जो कि म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित हो।

4.2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को नियमित रूप से एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा पाठ्यक्रम की अपेक्षा के अनुरूप निर्धारित प्रयोगशालायीन/महाविद्यालयीन/चिकित्सालयीन/अनुसंधान कार्यो की आवश्यक पूर्ति होने पर देय होगी।

4.3 सम्पूर्ण स्नातकोत्तर पाठयक्रम की निर्धारित अवधि के दौरान अधिकतम 36 (छत्तीस) माह की ही शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) देय होगी।

4.4 शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) प्रथम वर्ष के शिक्षण सत्र प्रारंभ होने की तिथि से देय होगी।

4.5 किसी भी स्थिति में शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) 36 (छत्तीस) माह की अवधि से अधिक देय नही होगी।

4.6 परीक्षा अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने में यदि विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में भी 36 माह से अधिक शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) देय नहीं होगी।

4.7 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि में किसी भी शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने पर उक्त अवधि की शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) देय नही होगी।

4.8 सेवारत अभ्यर्थी जो अध्ययन अवकाश की पात्रता रखते है उन्हें शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) देय नही होगी।

4.9 राज्य शासन की अन्य छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) संबंधी योजना के अंतर्गत लाभान्वित छात्रों/अध्येताओं को शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) देय नही होगी।

4.10 यथाप्रभावशील स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियमों में उल्लेखित निर्धारित अवकाश अवधि से अधिक अनुपस्थित रहने की स्थिति में, व्यावसायिक दुराचरण तथा अनुशासनहीनता/आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर यदि किसी स्नातकोत्तर छात्र का प्रधानाचार्य द्वारा निष्कासन किया जाता है तो उसे शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) देय नहीं होगी।

4.11 किसी भी आपराधिक प्रकरण में न्यायिक हिरासत में होने पर अथवा न्यायालय द्वारा अभियोग सिद्ध होने पर शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) देय नही होगी।

4.12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को प्रधानाचार्य के निर्देशों का पालन करते हुये अनुशासन में रहना होगा। यदि वे धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या आंदोलन आदि में संलिप्त पाये जाते है तो प्रधानाचार्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये शिष्यवृत्ति (स्टायपेण्ड) से निर्धारित अवधि के लिये वंचित कर सकेंगे।

5. **शिष्यवृत्ति राशि** – स्नातकोत्तर अध्ययन अवधि के दौरान म0प्र0 शासन आयुष विभाग द्वारा समय–समय पर दी गई स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनशील होगी।

6. वर्तमान में शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय भोपाल में एम0डी0/एम0एस0 (यूनानी) पाठ्यक्रम संचालित नही है। शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय भोपाल में पाठ्यक्रम संचालित होने के उपरान्त यह नियम उक्त एम0डी0/एम0एस0 (यूनानी) के लिये भी लागू होंगे।

7. **सक्षम प्राधिकारी**– उक्त शिष्यवृत्ति पात्रता नियम एवं निर्धारण के संबंध में निराकरण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन आयुष विभाग सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

8. **नियमों में संशोधन का अधिकार** –
उक्त नियमों को संशोधित करने का अधिकार म0प्र0 शासन आयुष विभाग का होगा। इन नियमों के निर्वचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की दशा में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा।

9. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों का प्रकाशित यह हिन्दी पाठ ही मान्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. आर. कतरोलिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.